न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 33/2025
जीसीएमएस. रजि. संख्या : 2025/121

प्रार्थीपक्ष :–		**अप्रार्थी :–**
श्री कानजी पिता वाला, उचित मुल्य दुकानदार मुन्दडी भाग द्वितीय, पोस कोड 6251 तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाडा, राजस्थान	**बनाम**	राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा

उपस्थित

श्री राजेन्द्र पाटीदार (अधिवक्ता अपीलार्थी) — विभागीय पैरोकार

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976)

निर्णय

दिनांक :– 25–02–2026

अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी श्री कानजी पिता वाला पेशा उचित मूल्य दुकानदार मुन्दडी भाग द्वितीय तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाडा की उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा दिनांक 27.01.2024 को जाँच की जाकर दिनांक 02.02.2024 को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें पोस कोड 6251 के दर्ज स्टॉक 252.55 क्विंटल गेहूं, 10 ऑयल पैकेट एवं 10 फूड पैकेट गौदाम में नही मिले। डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर 02.02.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब दिनांक 21.02.2024 को दिया गया प्रवर्तन अधिकारी बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 09.12.2024 के अनुसार कानजी/ वाला अपीलार्थी द्वारा मुन्दडी भाग द्वितीय के वितरण कार्य हेतु अस्थायी रुप से बडलिलया भाग प्रथम के डीलर सोहनलाल/ पुजा को 114.00 क्विंटल गेहूं, 10 फूड पैकेट एवं 10 ऑयल पैकेट सुपूर्द कर दिये गये तथा स्टॉक में 138.55 क्विंटल गेहूं होना बताया गया तथा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सं. 359/1996 को निरस्त कर दिया गया। जिस [illegible] की गई एवं कार्यालय जिला रसद अधिकारी बांसवाडा के आदेश क्रमांक [illegible] 2025/ 217 दिनांक 29.08.2025 को पूर्व में प्रस्तुत किये गये आदेश से पुनः किया एवं पोस कोड सुपूर्द [illegible] दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

तथा जिस ओर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा काई गौर न कर अपीलार्थी को सुने बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत मात्र उत्तर (जवाब) के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुवे प्रतिभूति समस्त राशि जब्त सरकार करने आदेश भी किये है। जिससे व्यथित व असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी ने अपील के साथ अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को सम्मन जारी किया गया। दिनांक 31.10.2025 को रेस्पोडेंट जिला रसद अधिकारी बांसवाडा की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया कि प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा द्वारा कानजी/ वाला उचित मुल्य दुकानदार मुन्दडी भाग द्वितीय के विरुद्ध दिनांक 27.01.2024 को शिकायत की जाँच की गई। जाँच रिपोर्ट में अनियमितताओ के लिये डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण सं. 03/2024 दर्ज किया। इसके लिये डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीलर द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 21.02.2024 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी का जवाब सन्तोषप्रद नही होने एवं जाँच में डीलर द्वारा गंभीर अनियमितताऐं करना पाया गया। डीलर द्वारा 8 उपभोक्तओ को माह दिसम्बर 2023 एवं जनवरी 2024 में कुल 2.50 क्विं. गेहूँ का फर्जी ट्रांजेक्शन दर्शाकर उपभोक्तओं को वितरण नही किया गया। डीलर द्वारा अनियमितताऐं किये जाने पर दिनांक 02.02.2024 को डीलर का प्राधिकार पत्र सं. 359/1993 निलंबित किया गया। इस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस कार्यालय के निर्णय दिनांक 30.12.2024 द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।

वक्त जाँच डीलर के पास उपलब्ध पोस कोड 6251 में दर्ज स्टॉक 252.55 क्विं. गेहूँ, 10 ऑयल पैकेट एवं 10 फूड पैकेट गौदाम में नही पाये गये। दिनांक 09.12.2024 को अस्थायी रुप से अधिकृत उचित मुल्य दुकानदार सोहनलाल/पुंजा को 114.00 क्विं. गेहूँ, 10 फूड पैकेट एवं 10 ऑयल पैकेट सुपूर्द कर दिये गये। शेष 138.55 क्विं. गेहूँ सुपूर्द नही कर उसका गबन एवं दुरुपयोग किया गया है।

अपीलार्थी डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच में उपभोक्तओ को राशन नही देना/ कम देना/फर्जी ईन्द्राज करना पाया गया। पाई गई अनियमितताओ के आधार पर उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिये गये एवं प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर को कारण बताओ नोटिस दिया जाकर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर अनियमितताओ के आधार पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। डीलर द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमितताए की जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

1976 के खण्ड 3 के जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,9,11,14 व 17सी का उल्लंघन किया गया है। निर्णय दिनांक 30.12.2024 के अनुसार प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यालय आदेश क्रमांक 141 दिनांक 21.04.2025 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट नही दर्ज करवाने निवेदन किया गया था। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 29.08.2025 के अनुसार डीलर द्वारा शेष 138.55 क्विं. गेहूँ अस्थायी उचित मूल्य दुकानदार सोहनलाल/पुंजा ग्राम पंचायत बडलिया को सुपूर्द किये जाने से कार्यालय आदेश क्रमांक 217 दिनांक 29.08.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने आदेश निरस्त किये गये।

दिनांक 25.02.2026 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 30.12.2024 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 03.10.2025 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार एक वर्ष नौ माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि अपीलार्थी को प्रश्नगत निर्णय और कानून की जानकारी नही होने से अपील में देरी का कारण युक्तियुक्त, सद्भाविक एवं न्याय संगत होकर क्षम्य किये जाने योग्य है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

उभय पक्षकारान ने मूल अपील पर बहस प्रस्तुत की। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रुप से कथन किया कि अपीलार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने मुख्य रुप से यह कथन किया कि अपीलार्थी श्री कानजी पिता वाला पेशा उचित मूल्य दुकानदार मुन्दडी भाग द्वितीय तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाडा की उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा दिनांक 27.01.2024 को जाँच की जाकर दिनांक 02.02.2024 को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें पोस कोड 6251 के दर्ज स्टॉक 252.55 क्विंटल गेहूं, 10 ऑयल पैकेट एवं 10 फूड पैकेट गौदाम में नही मिले। डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर 02.02.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब दिनांक 21.02.2024 को दिया गया प्रवर्तन अधिकारी बांसवाडा द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 09.12.2024 के अनुसार कानजी/ वाला अपीलार्थी द्वारा मुन्दडी भाग द्वितीय के वितरण कार्य हेतु अस्थायी रुप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

बडलिलया भाग प्रथम के डीलर सोहनलाल/ पुजा को 114.00 क्विंटल गेहूं, 10 फूड पैकेट एवं 10 ऑयल पैकेट सुपूर्द कर दिये गये तथा स्टॉक में 138.55 क्विंटल गेहूं होना बताया गया तथा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सं. 359/1996 को निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी को सुने बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत मात्र उत्तर (जवाब) के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुवे प्रतिभूति समस्त राशि जब्त सरकार करने आदेश भी किये है।

अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओ को सही समय और सही मात्रा में राशन वितरण किया है। प्रत्यर्थी ने उपभोक्ताओ के समय समय पर राशन मिलने की बात को नजर अंदाज करते हुए मात्र राजनैतिक दबाव के आगे अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निलम्बित और निरस्त किया है। अपीलार्थी द्वारा शेष 138.55 क्विं. गेहूँ अस्थायी उचित मूल्य दुकानदार सोहनलाल/ पुंजा ग्राम पंचायत बडलिया को दिनांक 10.08.2025 को सुपूर्द कर दिया गया है।

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी बांसवाडा का निर्णय दिनांक 30.12.2024 को अपास्त फरमावे।

विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा द्वारा कानजी/ वाला उचित मुल्य दुकानदार मुन्दडी भाग द्वितीय के विरुद्ध दिनांक 27.01.2024 को शिकायत की जाँच की गई। जाँच रिपोर्ट में अनियमितताओ के लिये डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण सं. 03/2024 दर्ज किया। इसके लिये डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीलर द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 21.02.2024 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी का जवाब सन्तोषप्रद नही होने एवं जाँच में डीलर द्वारा गंभीर अनियमितताऐं करना पाया गया। डीलर द्वारा 8 उपभोक्तओ को माह दिसम्बर 2023 एवं जनवरी 2024 में कुल 2.50 क्विं. गेहूँ का फर्जी ट्रांजेक्शन दर्शाकर उपभोक्तओं को वितरण नही किया गया। डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच में उपभोक्तओ को राशन नही देना/ कम देना/फर्जी ईन्द्राज करना पाया गया। पाई गई अनियमितताओ के आधार पर उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिये गये एवं प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर को कारण बताओ नोटिस दिया जाकर सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर अनियमितताओ के आधार पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। डीलर द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमितताए की जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदे[illegible] प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,9,11,14 व 17सी का उल्लंघन किया गया है। [illegible] 30.12.2024 के अनुसार प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था। अप्रार्थी द्वारा [illegible] प्रस्तुत कर कार्यालय आदेश क्रमांक 141 दिनांक 21.04.2025 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट [illegible] दर्ज करवाने निवेदन किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 29.08.2025 के अनुसार डीलर द्वारा शेष 138.55 क्विं. गेहूँ अस्थायी उचित मूल्य दुकानदार सोहनलाल/ पुंजा ग्राम पंचायत बडलिया को सुपूर्द किये जाने से कार्यालय आदेश क्रमांक 217 दिनांक 29.08.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने आदेश निरस्त किये गये।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 21.02.2024 में स्वयं स्वीकार किया गया कि भौतिक सत्यापन के दौरान पोस मशीन 6251 में दर्ज स्टॉक माह फरवरी 2024 का नियमित गेहूँ 252 क्विं 55 किलो 400 ग्राम, 10 ऑयल पैकेट, 10 फुड पैकेट कम पाये गये।

प्रश्नगत निर्णय के बिन्दु सं. 4 के अनुसार दिनांक 09.12.2024 को अस्थायी रुप से अधिकृत उचित मुल्य दुकानदार सोहनलाल/पुंजा को 114.00 क्विं. गेहूँ, 10 फूड पैकेट एवं 10 ऑयल पैकेट सुपूर्द कर दिये गये। शेष 138.55 क्विं. गेहूँ सुपूर्द नही कर उसका गबन एवं दुरुपयोग किया गया है। रेस्पोडेंट जिला रसद अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 29.08.2025 के अनुसार डीलर द्वारा शेष 138.55 क्विं. गेहूँ अस्थायी उचित मूल्य दुकानदार सोहनलाल/ पुंजा ग्राम पंचायत बडलिया को सुपूर्द किये जाने से कार्यालय आदेश क्रमांक 217 दिनांक 29.08.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने आदेश निरस्त किये गये।

अपीलांट के अधिवक्ता का यह कथन कि "अपीलार्थी द्वारा शेष 138.55 क्विं. गेहूँ अस्थायी उचित मूल्य दुकानदार सोहनलाल/ पुंजा ग्राम पंचायत बडलिया को दिनांक 10.08.2025 को सुपूर्द कर दिया गया है।" के सन्दर्भ में यह कि तात्कालिक समय में उचित मुल्य की दुकान की जाँच एवं भौतिक सत्यापन के दौरान 138.55 क्विं. गेहूं कम पाया गया जो अनियमितता की श्रेणी में आता है। पश्चात्वर्ती समयावधि में जांच के दौरान कम पाये गये उक्त गेहूं की भरपाई कर देने से कारित अनियमितता को क्षम्य नही किया जा सकता है।

इस प्रकार अपीलार्थी कानजी पिता वाला उचित मूल्य दुकानदार मुन्दडी भाग द्वितीय पोस कोड 6251 द्वारा तत्समय 138.55 क्विं. गेहूं का [illegible] दुरुपयोग प्रमाणित पाये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी बांसवाड़ा [illegible] दिनांक 30.12.2024 से उनका

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्राधिकार पत्र 359/1993 को निरस्त किया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.12.2024 को यथावत रखा जाता है।

जिला रसद अधिकारी बांसवाडा से प्रकरण में यह अपेक्षित था कि वह तत्समय नियमानुसार श्री कानजी पिता वाला उचित मूल्य दुकानदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाना में दर्ज करवाते। किन्तु इसके विपरीत जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा उनके आदेश क्रमांक एफ 1( ) रसद/ अभियोजन/ 2025/ 217 दिनांक 29.08.2025 से उक्त डीलर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश क्र. 41 दिनांक 21.04.2025 को निरस्त किया। उक्त कृत्य आरोपियों को प्रोत्साहित करने की श्रेणी में आता है। शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपुर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के ध्यान में लाया जाकर जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही करने सम्बन्धित जो आदेश जारी किया है, उस पर विभागिय स्तर पर संज्ञान लिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

अतः अपील अपीलांट के विरुद्ध निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपुर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25-02-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बाँसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:28 IST
Reason: SelfAttested